


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेशांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2017 दिनांक 11-01-2018 के द्वारा श्री सुखीराम, वर्तमान प्रधानाचार्य राउमावि० गणेशपुरा-शाहबाद बारां का पूर्व में जारी स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 28-12-2017 श्री सुखीराम की हद तक निरस्त किया जाकर, माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार, एक ही विद्यालय में दो प्रधानाचार्य (दोहरे पदस्थापन की स्थिति) के मध्य नजर श्री सुखीराम को यथावत प्रधानाचार्य राउमावि० गणेशपुरा-शाहबाद जिला बारां में ही कार्यरत रहने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किया गया था।


विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 11-01-2018 के क्रम में प्रधानाचार्य, राउमावि० जखराना-बहरोड अलवर के पद पर श्रीमती सुरेश बाई-अपीलार्थी को (दिनांक 31-01-2018 को वर्तमान कार्यरत प्रधानाचार्य के राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति उपरान्त) दिनांक 01-02-2018 से प्रभावी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। श्रीमती सुरेश बाई को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01-02-2018 को प्रधानाचार्य के रूप में शाला-दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण किया जाना तथा शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्रांज किया जाना सुनिश्चित करावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/अपील-77/सुरेश बाई/2017 दिनांक 24-01-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री स्वतन्त्र प्रभाग, राजस्थान-जयपुर।
- 02 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 03 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 04 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 05 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 06 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु।
- 07 निजी/ रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर